तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
19.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 03.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
03.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 03/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
852 / 2002	2002 / 076	16.02.1999	03.07.2023

उनवान प्रकरण

1. सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह (मृत्तक) जरिए :–

1/1. मु0 गुमान कंवर बेवा सतीदानसिंह (हजफ)

1/2. रणजीतसिंह पुत्र सतीदानसिंह मृत्तक के बजाय :–

1/2/1. भंवर कंवर पत्नी रणजीतसिंह आयु 62 वर्ष

1/2/2. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह आयु 41 वर्ष

1/2/3. दीपेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह आयु 39 वर्ष

1/2/4. रिद्धू कंवर पुत्री स्व0 रणजीतसिंह आयु 45 वर्ष

1/2/5. रितू कंवर पुत्री स्व0 रणजीतसिंह आयु 29 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

1/3. रघुवीरसिंह पुत्र सतीदानसिंह

1/4. भवानीसिंह पुत्र सतीदानसिंह मृत्तक

1/4/1. मु0 विष्णु कंवर आयु 38 वर्ष बेवा भवानीसिंह

1/4/2. लोकपालसिंह आयु 6 वर्ष पुत्र भवानीसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

1/4/3 कुमारी रेनू कंवर आयु 6 वर्ष पुत्री भवानीसिंह

1/4/4 अजयप्रतापसिंह आयु 4 वर्ष पुत्र भवानीसिंह (तीनो नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु0 विष्णु कंवर बेवा भवानीसिंह)

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

— वादीगण—

बनाम्

1. **मु0 अनोप कंवर बेवा रेवतसिंह (मृत्तक)**
2. **शंकरसिंह पुत्र रेवतसिंह (मृत्तक) के बजायः—**

2/1. सिरह कंवर बेवा शंकरसिंह

2/2. दिलीप सिंह पुत्र शंकरसिंह

2/3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह

2/4. सायर कंवर पुत्र शंकरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

3. **मोहनसिंह पुत्र रेवतसिंह (मृत्तक) के बजायः—**

3/1 लाड कंवर पत्नी स्व0 मोहनसिंह

3/2 संतोष कंवर पुत्री स्व0 मोहनसिंह

3/3 बिट्टूसिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह

3/4 लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

4. राजेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. तहसीलदार श्रीमाधोपुर भूमिधारी राज0 सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण——

07/07/23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थितः–

श्री जे0पी0 वर्मा / महेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री प्रहलाद सिंह, एड0 प्रतिवादी संख्या 2, 4 की ओर से अभिभाषक।

श्री रामसिंह, एड0 प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अभिभाषक।

श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/4 की ओर अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

दावा बाबत ईस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1338 (पुराना) रकबा 26 बीघा बारानी स्थित है। इस जमीन में से दक्षिणी तरफ श्रीमाधोपुर से अजीतगढ जाने वाली सडक निकल गई थी। द्वितीय सेटिलमेन्ट से पहले राजस्व ग्राम फुटाला बन गया था और इस सडक से उत्तर की तरफ वाली जमीन तन ग्राम फुटाला में अंकित हो गई और दक्षिण की तरफ वाली जमीन तन ग्राम मूण्डरू में अंकित हो गई। इस कारण द्वितीय सैटिलमेन्ट में इस जमीन के [illegible] ख[illegible] नम्बर 1847, 1848, 1849 कुल किता 3 कुल रकबा 4.91 है0 जमीन तन ग्राम [illegible]ला में अंकित हुए और नवीन खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.09 है0 जमीन तन् ग्राम [illegible]डरू में अंकित हुए है। जो पुराने खसरा नम्बर 1338 के ही भाग हैं और शेष जमीन सडक खसरा नम्बर 1858 में अधीग्रहीत हो गई। पक्षकारगण की तन् ग्राम मूण्डरू में ही स्थित अन्य जमीनों व उक्त जमीनों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

02/07/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रथम सैटिलमेन्ट से पूर्व ही हुए आपसी भाई बंटवारे अर्थात पारिवारिक सैटिलमेन्ट के अनुसार उक्त जमीन खसरा नम्बर 1338 रकबा 26 बीघा में से उत्तरी तरफ की 18 बीघा जमीन अर्थात करीब 2/3 हिस्सा की जमीन प्रथम सैटिलमेन्ट पूर्व से ही तन्हा वादी काश्त करता आ रहा है तथा लगान अदा करता आ रहा है। तदनुसार नवीन खसरा नम्बर 1848 रकबा 4.08 है0 संपूर्ण तथा खसरा नम्बर 1849 में से उत्तरी तरफ की 0.40 है0 जमीन तन्हा वादी के कब्जे काश्त में है। खसरा नम्बर 1847 रकबा 0.02 है0 वादी का तनहा कुंआ बनवाया हुआ है। जिससे वादी अपनी उक्त कब्जे काश्त की 18 बीघा जमीन की सिंचाई करता आ रहा है। लाखों रूपये खर्च करके जमीन उपजाऊ बना रखी है। काफी पेड़–पौधो व फलों के वृक्ष लगा रखें है तथा खसरा नम्बर 1338 के दक्षिणी तरफ की शेष 8 बीघा जमीन अर्थात करीब 1/3 हिस्सा की जमीन प्रतिवादीगण के पिता/पति स्व0 रेवतसिंह जी जो वादी के सगे बडे भाई थे काश्त करते थे। जिसमें से करीब 6 बीघा जमीन सडक में चली गई थी और उसका मुआवजा भी प्रतिवादीगण के पिता/पति रेवतसिंह ने ही प्राप्त कर लिया था। शेष बची 2 बीघा जमीन में वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.09 है0 तथा नवीन खसरा नम्बर 1849 में से दक्षिणी तरफ की 0.41 है0 भूमि प्रतिवादीगण अपने पिता/पति रेवतसिंह के समय से काश्त करते आ रहे हैं। उक्त खसरा नम्बर 1338 पुराने तथा उक्त नवीन खसरा नम्बर 1847, 1848, 1849, 2903 से वादी के अन्य भाई पाबूदानसिंह व हणमानसिंह तथा इनके वारिसान का कोई ताल्लुक किसी प्रकार का ना तो पहले था, ना ही वर्तमान में है, ना ही उनका कोई कब्जा काश्त है क्योंकि इ[illegible] में भाई बंटवारे अर्थात पारिवारिक सैटिलमेन्ट के अनुसार प्रथम सैटिलमेन्ट पू[illegible] ही उन्हें ग्राम मुण्डरू में ही अन्य जमीने दे दी गई थी। प्रथम सैटिलमेन्ट के समय वादी भारतीय सेना में सर्विस कर रहा था। इस कारण वादी के सर्विस में रहने के कारण वादी की अनुपस्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

03/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उक्त जमीन खसरा नम्बर 1338 रकबा 26 बीघा संपूर्ण का राजस्व रिकार्ड व नक्शा सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने लापरवाही व गफलत से कार्य करते हुए तन्हा प्रतिवादीगण के पिता/पति तथा वादी के बडे भाई रेवतसिंह के नाम गलत रूप से अंकित कर दिया गया। जबकि इस जमीन में 18 बीघा जमीन उत्तरी तरफ की अर्थात करीब 2/3 हिस्सा की जमीन का खसरा नम्बर अलग कायम करके तन्हा वादी के नाम खातेदारी अंकित करनी चाहिए थी या 2/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम तथा शेष 8 बीघा जमीन दक्षिणी तरफ की अर्थात करीब 1/3 हिस्सा की जमीन का खसरा नम्बर अलग कायम करके तन्हा रेवतसिंह के नाम खातेदारी अंकित करनी चाहिए थी या 1/3 हिस्सा की ही खातेदारी रेवतसिंह के नाम अंकित करनी चाहिए थी और तद्नुसार राजस्व नक्शा भी बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार गिरदावरियां भी गलत अंकित होती रही। इन सबकी जानकारी उस समय वादी को नहीं हो सकी। वादी आज भी अपनी 18 बीघा उत्तरी तरफ वाली जमीन पर काबिज काश्त है। जिससे प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का कोई ताल्लुक किसी भी प्रकार से नहीं है, ना ही उनकी कोई कब्जा काश्त हैं वादी उक्त प्रकार अपनी 18 बीघा जमीन अर्थात खसरा नम्बर 1847 रकबा 0.02 है0 संपूर्ण, खसरा नम्बर 1848 रकबा 4.08 है0 संपूर्ण तथा खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 है0 में से उत्तरी तरफ की 0.40 है0 जमीन की खातेदारी तन्हा अपने नाम अंकित करवाने का अधिकारी हैं। वादी को उक्त जमीनों में बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और वादी के भाई बंट के हिसाब से प्रथम सैटिलमेन्ट पूर्व से काबिज होने से खातेदारी अपने नाम अंकित करवाने का अधिकारी है। [illegible] में कई वर्षो बाद वादी को इस गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तो वादी ने अपने बडे भाई रेवतसिंह से खातेदारी रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कई बार [illegible] तो वे हर बार कोई न कोई बहाना करके टहलाते रहे और खातेदारी रिकार्ड दुरूस्त करवा देने का वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
07/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आश्वासन देते रहे। रेवतसिंह का स्वर्गवास हो गया और इस कारण विरासत में उक्त खादवस्त जमीनों की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम से गलत रूप से अंकित हो रही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 भी वादी को खातेदार रिकार्ड दुरूस्त करवा देने का आश्वासन देते हुए टहलाते आ रहे है। इस कारण अब तक इस बाबत वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। जमीनों की बढती हुई कीमतों को देखकर अब कुछ समय से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 की नियत गलत राजस्व रिकार्ड के कारण खराब हो रही है और इस कारण गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 वादी को उसे कब्जे काश्त व अधिकार की उक्त 18 बीघा जमीन से जबरन बेदखल करने की कुचेष्टाओं में लगे हुए है। कुछ दिनों से एहलानियां भी कहने लगे हैं कि वे गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर जमीनें दीगर व्यक्तियों को भी विक्रय कर देंगें एवं वादी को जबरन बेदखल करवा देंगे। इन कारणों से वादी ने दिनांक 11.02.1999 पुनः प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को खातेदारी रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्टतः इन्कार हो गये और इस कारण यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। वादी के कब्जे काश्त एवं अधिकार की उक्त 18 बीघा भूमि का खातेदार रिकार्ड बहक वादी दुरूस्त नहीं होने से वादी की सख्त हकतल्फी है व खातेदारी के अभाव में वादी राज्य सरकार की ओर खातेदारों को मिलने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने से महरूम हो रहा है व भूमि का समुचित विकास नहीं कर पाने से वादी को काफी नुकसान उठाना पड रहा है। इसके अलावा अगर प्रतिवादीगण ने गलत रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान आदि किसी भी प्रकार अन्तरण कर ऐसे किसी भी प्रकार का अन्तरण लेख रजिस्ट्री आदि तस्दीक करवाकर रिकार्ड परिवर्तन करा देंगे व वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करवा देगा या जबरन कब्जा कर लेगे

Rathore
03/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

तो इससे वादी के हक हकूक जायल होंगे, जमीन से महरूम हो जावेगा, काश्त शांतिपूर्वक नहीं कर पावेगा, अनावश्यक मुकमेंबाजी बढेगी और इन सबसे वादी को इस कदर क्षति होगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वादीगण ने वादपत्र बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया है कि तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1847 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1848 रकबा 4.08 है0 कुल किता 2 रकबा 4.10 है0 संपूर्ण का तथा खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 है0 में से उत्तरी तरफ की 0.40 है0 भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार हैं और राजस्व रिकार्ड में उक्त ख0न0 1847, 1848 की संपूर्ण जमीनों में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के स्थान पर तनहा वादी के नाम खातेदारी अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 है0 मे उत्तरी तरफ की 0.40 है0 भूमि का अलग से बट्टा नम्बर डालकर उसमें प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के स्थान पर तन्हा वादी के नाम खातेदारी अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खसरा नम्बर 1849 की दक्षिण की तरफ की शेष 0.41 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.09 है0 भूमि की खातेदारी बदस्तूर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम अंकित रहने तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 2, 4 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 3 की ओर से श्री रामसिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादिया नम्बर 1 की दरख्वास्त बाबत नाम हजफ पर सुना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
07/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकर प्रतिवादिया नम्बर 1 का नाम हजफ फरमाया गया। वादी संख्या 1/1 मु. गुमान कंवर व प्रतिवादी संख्या 2 शंकर सिंह पुत्र रेवत सिंह की फौतगी पर कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश हुए। जो बाद सुनवाई स्वीकार किये जाकर उनके वारिसान् को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक पेश करवाया गया। प्रकरण में तनकीयात् कायम की जाकर कुल 5 बिन्दू कायम किये जाकर तनकीयात का विवेचन किया गया। प्रकरण को साक्ष्य वादी में लिया गया। वादी रघुवीर सिंह ने गवाह मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया। दौरानें साक्ष्य जिरह प्रारम्भ की गई। प्रकरण में पक्षकारान् वादीगण संख्या 1/1 से 1/3, 1/4/1 से 1/4/4 एंव प्रतिवादीगण नं. 2/1 से 2/4, 3 लगायत 4 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया गया। जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामसिंह शेखावत एड0 ने प्रतिवादीगण की पहचान की तथा वादीगण की पहचान वादीगण वकील श्री जे0 पी0 वर्मा एड0 ने की है। प्रार्थी श्री पृथ्वी सिंह पुत्र भागीरथ सिंह के द्वारा दिनांक 25.03.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थी पृथ्वी सिंह की दिनांक 07.07.2020 को मृत्यु हो जाने पर प्रार्थी पृथ्वी सिंह पुत्र भागीरथ सिंह के द्वारा दिनांक 25.03.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज किया गया। वादीगण संख्या 1/2, 1/4 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के फौत होने पर उनके कायम मुकामान् प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किये जाते है तथा मृत्तक वादीगण संख्या 1/2, 1/4 एंव प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 5 को समन तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/4 को जवाब देही का अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब देही बन्द की गई। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

07/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...प्रदान करते हुए राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2053–2056, 2054–2057 खतौनी 2017–2020 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण के पिता/दादा व वादी के बड़े भाई रेवत सिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए पारिवारिक सैटलमैंट अनुसार उक्त भूमियॉ प्रथम सैटलमेंट के पूर्व से ही वादीगण व प्रतिवादीगण के पृथक – पृथक हिस्से में आना प्रकट होता है। जिसके तहत उक्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 1847 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1848 रकबा 4.08 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.10 हैक्टर संम्पूर्ण का तथा खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 हैक्टर में से उत्तरी तरफ की 0.40 हैक्टर भूमि पर वादीगण के द्वारा अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त किया जाना प्रकट होता हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 हैक्टर में से दक्षिणी तरफ की शेष जमीन 0.41 हैक्टर व खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में आना प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 इसी बाहमी बंटवारें अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। जिस बाबत पक्षकारान् प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया जाकर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाना भी प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

07/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र में कायम की गई तनकी वार निर्णय नहीं कर सीधे ही राजीनामा के आधार पर एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात् एंव अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1847 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1848 रकबा 4.08 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.10 हैक्टर संपूर्ण का तथा खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 हैक्टर में से उत्तरी तरफ की 0.40 हैक्टर भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा उक्त खातेदारी रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम हजफ किया जाता है तथा तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 हैक्टर में दक्षिणी तरफ की शेष जमीन 0.41 हैक्टर का बट्टा नम्बर डालकर उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम तथा तन् ग्राम मूण्डरू में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.09 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम बदस्तूर कायम रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

07/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण मे राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

01/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर